APP-A
Crim-1

फार्म नं. 3

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज़ अदालत जिला कलक्टर, बाड़मेर मुकाम बाड़मेर

अपीलार्थी–श्री यशोवर्धन शाण्डिल्य पुत्र श्री भवानी शंकर शर्मा **बनाम** उत्तरदाता– तहसीलदार सिवाना

किस्म मुकदमा प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम **नं.** **सन्** 50/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.07.2021	अपीलार्थी श्री यशोवर्धन शाण्डिल्य पुत्र श्री भवानी शंकर शर्मा निवासी खागल मोहल्ला, बाड़मेर ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता तहसीलदार सिवाना के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय मे दिनांक 04.06.2021 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति एवं शुल्क रूपये 10/– का पोस्टल ऑर्डर संख्या 923295 दिनांक 03.03.2021 का प्रतिपर्ण संलग्न किया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निर्धारित मयाद अवधि में प्रस्तुत नहीं होने से मयाद के बिन्दु पर अपीलांट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलार्थी द्वारा निर्धारित सुनवाई तिथि को अनुपस्थित रहने से और मयाद के बिन्दु पर अपना कोई पक्ष नहीं रखने के कारण यह अपील मयाद बाहर होने से खारिज की जाती है। Lon जिला कलक्टर बाड़मेर	552 09.6.21

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.07.26 18:14:43 IST
Reason: SelfAttested